



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2013/ 7051

दिनांक :- 28/10/2013

सेवा में,

प्रबंधक,
पं. वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय,
झाँसी।

विषय :- प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 22/08/2013 के, सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या :- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं धन सभित की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ताओं को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि सभी अनुमोदित प्रवक्ताओं को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	शैक्षिक विवरण	वर्ग
1	डा० शालिनी त्रिवेदी	प्रवक्ता रसायनविज्ञान	24/9/1978	Ph.D	अनाराक्षित
2	श्री दीपक कुमार निरंजन	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान	01/01/1981	M.Phil	अनाराक्षित
3	श्री आशुतोष पुरोहित	प्रवक्ता भौतिक विज्ञान	12/07/1987	M.Phil	अनाराक्षित

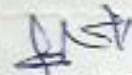
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवक्ता को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारण के फलस्वरूप अनुमोदन प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	विषय/पद
1	श्री रविकान्त कन्नीजिया	पूर्व से टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय, मोंठ में अनुमोदित
2	श्री कंचन राम	पूर्व से एस० आर० महाविद्यालय, उरई में अनुमोदित
3	डा० उदिता त्रिपाठी	परास्नातक की अंक तालिका संलग्न नहीं

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी गयी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध सभित का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबंध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या यथाशीघ्र अपोहरताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय


(पारस नथ प्रसाद)
उपकुलसचिव
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :- श्री विवेक कुमार पाटकर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपकुलसचिव
कृते कुलसचिव